पुलिस ने 12 घंटे के अंदर दबोचे 23 वारंटी

संसू, श्रावस्ती : एसपी प्राची सिंह की ओर से आपरेशन धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस टीम ने न्यायालय से वारंट जारी होने के बाद अभियान चलाकर 12 घंटे के अंदर 23 वारंटियों को गिरफ्तार कर कोर्ट पर प्रस्तुत किया गया है।

एसपी ने बताया कि भिनगा कोतवाली पुलिस टीम ने पुरानी बाजार निवासी गिरधारी लाल, कुन्ननपुर नौसहरा निवासी सुरेंद्र चौहान उर्फ सुख्खू, चौधरीपुरवा के बाबूराम को गिरफ्तार किया। गिलौला पुलिस ने गिलौला निवासी हनीफ, गोपालपुर निवासी सूर्य उर्फ जगतराम, गुजरनपुरवा निवासी मेराज अली, सिरसिया पुलिस ने घोघवा कला निवासी लतीम, रामपुर बंधा निवासी उमाशंकर, हेमपुर निवासी रामप्रताप, भोजपुर बिल्ली निवासी रमजान, घोलिया के बडकऊ, इकौना पुलिस ने बैदौरा चरगाही निवासी मुहम्मद शफी, टंडवा महंत बैदौरा निवासी बाबू मौर्या, लोधनपुरवा के शिवराज व मल्हीपुर पुलिस टीम ने मनकौर निवासी जैनुल, जामिद, रंगीलाल वर्मा, भुड़कुलवा निवासी देवतादीन, चमारनपुरवा के रमेश कुमार, जब्दी असनहरिया के मंटू, घुमना बरगदहा के टिंमल, सोनवा पुलिस ने ककंधू निवासी हसन व नवीन मार्डन श्रावस्ती पुलिस ने एक वारंटी को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि दबोचे गए वारंटी छेड़छाड़, मारपीट, आदि मामलों में आरोपित हैं।

दो आरोपियों को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा

श्रावस्ती। एससीएसटी एक्ट से संबंधित दो आरोपियों को न्यायालय की ओर से तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही दोनों आरोपियों को 17 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।

ऑपरेशन कनविक्शन के तहत एसपी प्राची सिंह की आर से चिन्हित मुकद्मों की प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए थाना प्रभारी व पैरोकारों को निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन तथा कोर्ट पैरोकार के प्रयास से दो आरोपियों को सजा सुनाई गई। शनिवार को न्यायालय की ओर से एससीएसटी से संबंधित दो आरोपियों पुत्तन वर्मा पुत्र बांके व राम धीरज पुत्र भगौती निवासीगण गोड़पुरवा कोतवाली भिनगा को दोषी पाते हुए तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 17 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध जबरदस्ती दुष्कर्म करने की नियत से उठा ले जाने के संबंध में 22 जनवरी 2010 को थाना कोतवाली भिनगा में मामला दर्ज किया गया था। जिसकी विवेचना पूरी कर पुलिस आरोपियों के विरुद्ध 28 फरवरी 2010 को आरोप पत्र न्यायालय में भेजा गया था।